







क विपरीत बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोगों और भवन निर्माणों में अनियमितताओं के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है। उपाध्यक्ष के निर्देश एवं सचिव के मार्गदर्शन में प्राधिकरण की टीम ने 19 अगस्त को नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर पांच प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस पाने वालों में शहीद पार्क के पास स्थित टी लॉजी, रॉयल पन्ना हॉल में बेसमेंट स्थित मैरिज हॉल, गोल्ड जिम के नीचे संचालित कृष्ण एक्स-रेमंड शोरूम तथा सिविल लाइंड्स स्थित शोमल है। प्राधिकरण ने सवालों के भवन स्वामियों और संचालकों को नोटिस जारी कर स्वीकृत मानचित्र, निर्माण एवं भवन के उपयोग से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने तथा अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्राप्त जवाबों और अभिलेखों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विकास प्राधिकरण के सचिव ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मानचित्र और प्रचलित भवन उपविधियों के विपरीत बेसमेंट का व्यावसायिक अथवा अन्य अनधिकृत उपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।















